नम्बर व अहकाम की तामील में

# कार्यालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक राज0

( श्री दुर्गा प्रसाद मीणा **R.A.S.** उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या :– 213/2020

निर्णय दिनांक :– 31/03/2023

उनवानी दावाः

राजेन्द्र पुत्र रतना जाति माली आयु 33वर्ष निवासी देवली गांव तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।

–वादी–

बनाम

1. कालू पुत्र भैरू जाति माली निवासी देवली गांव तहसील देवली जिला टोंक ।
2. फूला उर्फ फूमा बेवा भैरू जाति माली निवासी देवली गांव तहसील देवली जिला टोंक
3. भवरलाल पुत्र भैरू जाति माली निवासी देवली गांव तहसील देवली जिला टोंक
4. महावीर पुत्र रतना ज्ञाति माली आयु 29वर्ष निवासी देवली गांव तहसील देवली जिला टोंक
5. रतनी पुत्री माधो जाति माली निवासी देवली गांव तहसील देवली जिला टोंक
6. लाली बेवा दुर्गाजाति माली निवासी देवली गांव तहसील देवली जिला टोंक
7. शिवराज पुत्र रतना जाति माली आयु 36वर्ष निवासी देवली गांव तहसील देवली जिला टोंक
8. सुखलाल पुत्र माधोजाति माली निवासी देवली गांव तहसील देवली जिला टोंक
9. सुरेश पुत्र दुर्गा जाति माली निवासी देवली गांव तहसील देवली जिला टोंक
10. कल्याण पुत्र मांगीलाल जाति माली निवासी देवली गांव तहसील देवली जिला टोंक
11. कैलाश पुत्र भूरा जाति माली निवासी देवली गांव तहसील देवली जिला टोंक
12. रामलाल पुत्र भूरा जाति माली निवासी देवली गांव तहसील देवली जिला टोंक
13. किशन पुत्र भूरा जाति माली निवासी देवली गांव तहसील देवली जिला टोंक
14. मोहनी पुत्री भूरा जाति माली निवासी देवली गांव तहसील देवली जिला टोंक
15. लछमा पुत्री भूरा जाति माली निवासी देवली गांव तहसील देवली जिला टोंक
16. रसाल देवी पुत्री रतना जाति माली आयु 40वर्ष निवासी देवली गांव तहसील देवली जिला टोंक
17. लादी बेवा रतना जाति माली आयु 33वर्ष निवासी देवली गांव तहसील देवली जिला टोंक

Scanned with OKEN Scanner

18. प्रबन्धक महोदय, पंजाब नेशनल बैंक शाखा देवली जिला टॉक
19. प्रबन्धक महोदय, स्टेट बैंक बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा देवली, जिला टोंक
20. प्रबन्धक महोदय, केनरा बैंक शाखा देवली तहसील देवली जिला टॉक
21. प्रबन्धक महोदय, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा देवली तहसील देवली जिला टोंक
22. तहसीलदार जी (लेण्ड होल्डर) देवली तहसील देवली जिला टोंक

–प्रतिवादीगण–

**उपस्थिति :–**
**श्री शिवजीराम डडवानिया**
**अधिवक्ता वादी**

**श्री आलोक कुमार शर्मा**
**अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3, 6 व 9**
**एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध**
**प्रतिवादी संख्या 4 ता 5, 7 ता 8, 10 ता 17**
**व 19 ता 20**
**श्री बंशीलाल कलवार**
**अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 18**
**श्री संदीप कांटिया**
**अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 21**

## दावा विभाजन आराजीयात भूमि व स्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश व प्राथमिक डिक्री पेश हुई। वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 17 की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात खाता संख्या 978 में खसरा नम्बर 2319 रकबा 0.090 नहरी, खसरा नम्बर 2320 रकबा 0.07 है0 नहरी, खसरा नम्बर 2321 रकबा 0.14 है० नहरी 1 खसरा नम्बर 2322 रकबा 0.07 है0 नहरी, 1759 में वर्णित खसरा नम्बर 1663 रकबा 0.23. खसरा नम्बर 1689 रकबा 0.18 है0 खसरा नम्बर 1920 रकबा 0. 280, खसरा नम्बर 2072 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 2073 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 2081 रकबा 0.06है0, खसरा नम्बर 2377 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 285 रकबा 0.17है0 खसरा नम्बर 3784 रकबा 1.18 है०, खसरा नम्बर 3786 रकबा 1.43है0, खसरा नम्बर 4147 रकबा 0.23है0. खसरा नम्बर 585 रकबा 0.16है0, खसरा नम्बर 591 रकबा 0.41 है0 नहरी2. वाकै देवली गांव तहसील देवली जिला टोंक में स्थित है। वादी का खाता संख्या 1759 में वर्णित

Scanned with OKEN Scanner

खसरा नम्बर 1663 रकबा 0.23, खसरा नम्बर 1689 रकबा 0.18 है0 खसरा नम्बर 1920 रकबा 0.280.खसरा नम्बर 2072 रकबा 0.02 है0 खसरा नम्बर 2073 रकबा 0.17 है०. खसरा नम्बर 2081 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 2377 रकबा 0.05 है०. खसरा नम्बर 285 रकबा 0.17 है0 खसरा नम्बर 3784 रकबा 1.18 है0, खसरा नम्बर 3786 रकबा 1.43है0, खसरा नम्बर 4147 रकबा 0.23 है0, खसरा नम्बर 585 रकबा 0.16 है0 खसरा नम्बर 591 रकबा 0.41 है0 नहरी 2, देवली गांव स्थित भूमि में 1/15 हिस्सा है, जिस पर वादी का कब्जा काश्त चला आरहा है तथा शेष हिस्सा राजस्व रिकार्ड के अनुसार प्रतिवादीगण का हिस्सा अंकित है। वादी का खाता संख्या 978 में वर्णित खसरा नम्बर 2319 रकबा 0. 090 नहरी, खसरा नम्बर 2320 रकबा 0.07 है0 नहरी, खसरा नम्बर 2321 रकबा 0.14 है0 नहरी 1 खसरा नम्बर 2322 रकबा 0.07 है0 नहरी, वाके ग्राम देवली गांव में स्थित भूमि में वादी का 1/75 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अंकित है, जिस पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का राजस्व रिकार्ड के अनुसार दर्ज है। वादी ने प्रतिवादीगण को 10 दिन पूर्व उक्त भूमि का बटवारा करने के लिये कहने पर नाराज हो गये ओर वाद पत्र के चरण नम्बर 1 में उक्त वर्णित आराजीयात भूमि को प्रतिवादीगण अन्य व्यक्ति को बिना विधिवत बटवारे के विक्रय करने की धमकी वादी को दिये जाने के कारण वाद कारण उत्पन्न हुआ तत्पश्चात लगातार उत्पन्न हो रहा है। प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 17 खाता संख्या 1759 एवं खाता संख्या 978 में वर्णित आराजीयात भूमि को बिना बटवारे के ही किसी अन्य व्यक्ति को रहनु, बे, दान वसियत इत्यादि से हस्तान्तरित करने पर आमादा है, इसलिये प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 17 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वे स्वयं जरिये ऐजेन्ट नोकर चाकर के वादी की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात भूमि को बिना विभाजन कराये किसी अन्य व्यक्ति को रहनु, बे, दान, बसियत इत्यादि से हस्तान्तरित नहीं करें तथा राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। यदि प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 17 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो प्रतिवादगण वादी की संयुक्त खातेदारी की भूमि को बिना विधिवत विभाजन के बैचान कर देगें, जिससे वादी व्यर्थ के मुकद्दमे बाजी में उलझ जायेगा एवं बर्बाद हो जायेगा। वादी की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 1759 एवं खाता संख्या 978 में वर्णित आराजीयात भूमि जो देवली गांव में स्थित है, को प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 17 बिना विधिवत बटवारे के अन्य व्यक्ति को विक्रय

Scanned with OKEN Scanner

करने पर आमादा है, जिन्हे जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है कि वह बिना बटवारे के उक्त आराजीयात भूमि को बैचान नहीं करें ओर राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। वाद पत्र के चरण नम्बर 1 में वर्णित भूमि खाता संख्या 1759 व 978 में वर्णित आराजीयात भूमि जो वाकै ग्राम देवली गांव तहसील देवली में स्थित है, वादी के 1/15 व 1/75 हिस्से की भूमि का विभाजन कराया जाकर पृथक-पृथक जमाबन्दी व लगान कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल किया जायें। खाता संख्या 978 में खातेदार भूरा पुत्र हीरा की मृत्यु हो जाने के कारण उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 12.13.14 व 15 विधिक वारिसान होने के कारण उन्हें उक्त वाद में आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। यहकि प्रतिवादी संख्या 12 व 3 का हिस्सा स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा देवली में रहन होने के कारण प्रतिवादी संख्या 19 को पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 4. व 7 का हिस्सा पंजाब नेशनल बैंक शाखा देवली में रहन होने के कारण प्रतिवादी संख्या 18 को पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 6 व 9 का हिस्सा केनरा बैंक शाखा देवली में रहन दर्ज होने के कारण प्रतिवादी संख्या 20 को पक्षकार बनाय गया है। प्रतिवादी संख्या 8 का हिस्सा भारतीय स्टेट बैंक शाखा देवली में रहन दर्ज होने के कारण प्रतिवादी संख्या 21 को पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 22 लेण्ड होल्डर होने व बटवारा कराये जाने हेतु आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। वादी एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 17 की संयुक्त खातेदारी की भूमि वाके ग्राम देवली गांव तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान राज्य में स्थित होने से उक्त वाद का श्रवणाधिकार श्रीमान के न्यायालय को प्राप्त है। उक्त वाद अन्तर्गत धारा 53. राज. टी. एक्ट के तहत निर्धारित कोर्ट फीस पर दो प्रतियों में माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतः वादी की प्रार्थना है कि :-अ- वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 17 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वे स्वयं जरिये ऐजेन्ट नोकर चाकर के वादी के हक हिस्से व खातेदारी की आराजीयात भूमि को बिना विभाजन कराये किसी अन्य व्यक्ति को रहन, वे, दान, बसियत इत्यादि से हस्तान्तरित नहीं करें तथा राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। ब- वाद पत्र के चरण नम्बर 1 में वर्णित भूमि खाता संख्या 1759 व 978 में वर्णित आराजीयात भूमि जो वाकै ग्राम देवली गांव तहसील देवली में स्थित है, वादी के 1/15 व 1/75 हिस्से की खातेदारी भूमि का विभाजन कराया जाकर

Scanned with OKEN Scanner

पृथक-पृथक जमाबन्दी व लगान कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल किया जायें तथा शेष हिस्से अनुसार प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 17 के हिस्से में दर्ज किया जावें। स- खर्चा मुकदमा एवं अन्य सहायता जो वादी के हित में लाभप्रद हो दिलायी जायें।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3, 6 व 9 की ओर से अधिवक्ता श्री आलोक कुमार शर्मा ने वकालतनामा पेश किया।

प्रतिवादीगण संख्या 21 की ओर से अधिवक्ता श्री सन्दीप कांटिया ने वकालतनामा पेश किया।

प्रतिवादीगण संख्या 18 की ओर से श्री बंशीलाल कलवार ने वकालतनामा व जवाब पेश किया जो इस प्रकार है:- वाद पत्र का चरण नम्बर 1 में वर्णित भूमि वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी में होना स्वीकार है, उक्त आराजीयात भूमि में प्रतिवादीगण नम्बर 4 व 7 ने प्रतिवादी संख्या 18 पंजाब नेशनल बैंक शाखा देवली से दिनांक 8-12-2017 को के०सी०सी० हेतु 89,0000/-रूपये का ऋण ले रखा है। जिसके लोन खाता संख्या 6693008800006602 है, इसलिये ग्राम देवली गांव में स्थित भूमि खाता संख्या 978 व 1759 में वर्णित समस्त आराजीयात भूमि में प्रतिवादी संख्या 4 व 7 " का हिस्सा पंजाब नेशनल बैंक शाखा देवली के रहन दर्ज है, तथा केसीसी ऋण बकाया है। वाद पत्र का चरण नम्बर 2 जिस तरह से वर्णित है, स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नम्बर 3 जिस तरह से वर्णित है, स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नम्बर 4 जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है। वाद पत्र का चरण नम्बर 5 में वर्णित भूमि में से प्रतिवादीगण नम्बर 4 का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 18 के यहां रहन दर्ज है, जब तक प्रतिवादीगण संख्या 4 व 7 पंजाब नेशनल बैंक शाखा देवली का केसीसी ऋण का भुगतान करने के उपरान्त ही उक्त भूमि को हस्तान्तरण करने का अधिकार होगा। रहन रखी हुयी भूमि को. किसी अन्य को हस्तान्तरित नहीं करें। प्रतिवादीगण नम्बर 4 व 7 द्वारा बैंक केसीसी ऋण का भुगतान करने के उपरान्त ही वादी व प्रतिवादीगण विधिवत बटवारा कराने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण नम्बर 4 व 7 द्वारा प्रतिवादी संख्या 18 का ऋण चुकता अदा करने के उपरान्त न्यायालय से बटवारा कराने के अधिकारी होगें, जब तक राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति रखी जायें। वाद पत्र का चरण नम्बर 7 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र का चरण नम्बर 8 जानकारी

Scanned with OKEN Scanner

के अभाव में स्वीकार नहीं है। वाद पत्र का चरण नम्बर 9 राजस्व रिकार्ड के अनुसार स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नम्बर 10 जिस तरह से वर्णित किया है, स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नम्बर 11 राजस्व रिकार्ड के अनुसार स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नम्बर 12 राजस्व रिकार्ड के अनुसार स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नम्बर 13 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र का चरण नम्बर 14 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र का चरण नम्बर 15 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नहीं है।वाद पत्र में चाही गयी प्रार्थना का भाग अ— स्वीकार है। भाग ब में वर्णित खाता संख्या 1759 व 978 में से प्रति0 सं0 4 व 7 के हिस्से की भूमि वर्णित आराजीयात भूमि का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 18 पंजाब नेशनल बैंक शाखा देवली में रहन दर्ज होने के कारण बिना के०सी०सी० ऋण चुकाये उक्त भूमि का बटवारा नहीं करें।

प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 5, 7 ता 8. 10 ता 17 व 19 ता 20 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

उभयपक्ष अधिवक्ता ने बहस की प्रार्थना की जिसे स्वीकार किया गया।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद के तथ्यो को ही दोहराया।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3, 6 व 9 की ओर से अधिवक्ता श्री आलोक कुमार शर्मा ने आदेशिका पर कब्जे एवं हिस्से अनुसार तकासमा कर दिया जावे का अंकन कर हस्ताक्षर किये व बहस में भी कब्जे एवं हिस्से अनुसार तकासमा करने की प्रार्थना की।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 18 ने अपनी बहस में बैंक के हित का ध्यान रखने की प्रार्थना करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी करने की प्रार्थना की।

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 21 अनुपस्थित रहे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध वाके ग्राम देवलीगांव पटवार हल्का देवली तहसील देवली की जमाबंदी सम्वत् 2074—77 के खाता संख्या 978 में दर्ज कुल किता 4 कुल रकबा 0.37 है0 में वादी का 1/75 हिस्सा व खाता संख्या 1759 में दर्ज कुल किता 13 कुल रकबा 4.57 है0 में वादी का 1/15 हिस्सा और शेष हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 17 का है। वाद पत्र के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 17 उक्त खातों की भूमि पर सहखातेदार है तथा वाद वर्णित आराजीयात में वादी उक्तानुसार हिस्से का रिकॉर्डेड खातेदार होने के कारण अपने हिस्से की भूमि का विभाजन करवाकर

Scanned with OKEN Scanner

...ा से खाता कायम करने का अधिकार रखता है। अतः वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 17 के मध्य उक्तानुसार अथवा वर्तमान जमाबन्दी अनुसार वादी का उसके हिस्सेनुसार भूमि में विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री पारित की जाती है। अतः तहसीलदार देवली को अच्छी से अच्छी तथा बुरी से बुरी भूमि में से बंटवारे के सिद्धान्त के आधार पर तथा कब्जेकाश्तानुसार भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार देवली वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 के मध्य राजस्व रिकार्ड में अंकित हिस्सेनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के प्रावधानुसार भूमि विभाजन हेतु पक्षकारान की उपस्थिति में प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय हाजा को प्रेषित करे।

तद्नुसार प्राथमिक डिक्री जारी हो।

**निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

**उपखण्ड अधिकारी**
**देवली**

Scanned with OKEN Scanner